मांस प्रसंस्करण, मूल्य वर्धित उत्पादों में उद्यमियों के लिए अवसर

पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पादों की नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों को मज़बूत करने के लिए सहायता कर रही है। इसके लिए सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (ए एच आई डी एफ) की स्थापना की है।

मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पादों की नई और मौजूदा इकाइयों के लिए योग्य लाभार्थी अनुसूचित बैंकों से अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र हैं।

सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) परिभाषित सीमा के अनुसार, लाभार्थी का योगदान ऋण राशि का 10% हो सकता है। मध्यम उद्यमों के लिए, परिभाषित एम एस एम ई सीमा के अनुसार, लाभार्थी का योगदान 15% तक जा सकता है। अन्य श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक जा सकता है।

अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकतम अदायगी अवधि पहले संवितरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें मूल राशि के पुनर्भुगतान पर दो वर्ष की मोहलत भी शामिल है।

मांस प्रसंस्करण के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां

- ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में भेड़/बकरी/पोल्ट्री/सुअर/भैंस के लिए नई मांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और मौजूदा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं को मज़बूत करना।
- बड़े पैमाने पर एकीकृत मांस प्रसंस्करण सुविधाएं/संयंत्र/इकाइयां।

मूल्यवर्धित उत्पाद के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां

- मांस उत्पादों जैसे सॉसेज, नगेट्स, हैम, सलामी, बेकन या किसी अन्य मीट के लिए नई या मौजूदा मूल्यवर्धन सुविधाओं की स्थापना। ये सुविधाएं मांस प्रसंस्करण इकाइयों का अभिन्न अंग या स्टैंडअलोन (एकल) मांस मूल्यवर्धन इकाइयां हो सकती हैं।

प्रत्येक मांस प्रसंस्करण संयंत्र की परियोजना लागत में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई टी पी), मीट माइक्रोबायोलॉजिकल जाँच प्रयोगशाला, अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, ऑफल्स रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, स्किन/हाइड प्रोसेसिंग स्थान और प्रशीतित उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को कम से कम 24 घंटे रखने के लिए उनके संरक्षण और रेफ्रिजिरेशन की सुविधाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

ए आई एच डी एफ के तहत ऋण के लिए पात्र लाभार्थी

- किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई)
- धारा 8 कंपनियां
- निजी कंपनियां
- व्यक्तिगत उद्यमी

लाभ

- लाभार्थियों को निवेश के रूप में न्यूनतम 10% मार्जिन मनी का योगदान करना होगा। शेष 90% ऋण घटक अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- भारत सरकार पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज सहायता प्रदान करेगी।
- मूल ऋण राशि के लिए 2 साल की मोहलत और उसके बाद 6 साल की अदायगी अवधि होगी।

- क्रेडिट गारंटी फंड (सी जी एफ) से, उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण प्रत्याभूति प्रदान की जाएगी जो एम एस एम ई परिभाषित सीमा के अंतर्गत आती हैं। गारंटी कवरेज उधारकर्ता को उपलब्ध ऋण सुविधा के 25% तक होगी।

आवेदन कैसे करें?

डेयरी और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे की स्थापना या मौजूदा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए निवेश करने के इच्छुक लाभार्थियों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा विकसित 'उद्यमी मित्र' पोर्टल https://ahidf.udyamimitra.in के माध्यम से पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूचित बैंक, परियोजना के उचित मूल्यांकन और मंज़ूरी के बाद, आवेदन/परियोजना को ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से ब्याज सहायता के अनुमोदन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को भेज देगा।